Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में धोखाधडी करने वाले आरोपी श्यामू व बबलू उर्फ अमित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 22000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त श्यामू पुत्र दयाराम व बबलू उर्फ अमित पुत्र श्यामू निवासी गढीदुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा धोखाधडी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 184/2022 धारा 420/406/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 30.10.2025 को मा0 न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त श्यामू व बबलू उर्फ अमित को दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 22000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।